राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या–163/2021

आदेश दिनांकः– **17.01.2022**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थितः– जरिए वी.सी.

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :– श्री राजवीर शर्मा
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :– श्री अमित दाधीच

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने जाहिर किया कि वे इस प्रकरण में सभी प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित हो रहे हैं ।

प्रकरण में तामील पूर्ण हो चुकी है ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने जाहिर किया कि उन्होंने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. कार्यालय में प्रस्तुत किया है ।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रार्थना पत्र को पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

इस प्रकरण में दिनांक 16.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किए जाने के आदेश पारित किए गए थे, परन्तु आज दिनांक तक अभिलेख अप्राप्त है ।

अभिलेख तलबी हेतु स्मरण पत्र जारी किया जावे व साथ ही संबंधित पीठासीन अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया जावे कि वांछित अभिलेख अभी तक इस न्यायालय को प्रेषित क्यों नहीं किया गया है ।

पत्रावली दिनांक 10.02.2022 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे तब तक अन्तरिम आदेश यदि कोई हो तो वह प्रभावी रहेगा ।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/21